**बसंन्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.**
**प्रकरण संख्या 75/2017 (राजसमन्द डिक्री)**

देवा पिता स्वर्गीय गुलाब जी रेबारी, निवासी झालों की मदार, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. श्रीमती किशनी बाई गेलड़ पुत्री चतर्भुज जी पत्नी पोखर जी रेबारी, निवासी उसरवास, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. उदा पिता स्वर्गीय गुलाब जी रेबारी, निवासी झालों की मदार, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. धन्ना पिता स्वर्गीय गुलाब जी रेबारी, निवासी झालों की मदार, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 29.11.2017, प्र॰सं॰ 159/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभम शर्मा अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 4

———::———

**निर्णय** **दिनांक 11–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम झालों की मदार में वाद पत्र की कमल संख्या 1 के परिशिष्ट ''अ'' की कुल किता 10 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा एवं परिशिष्ट ''ब'' की कुल किता 12 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित हैं, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की मौरूसी कृषि भूमियां हैं, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष जगरूप जी के 4 पुत्र नन्दा, चतुर्भज, भीमा व गुलाब हुए, जिसमें से नन्दा, चतुर्भज व भीमा तीनों लाऔलाद फोत हो गये एवं गुलाब के 3 पुत्र वादी देवा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उदा व धन्ना हुए। जगरूप जी ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्तियों का विभाजन कर दिया

था, जो चतर्भुज के जीवनकाल तक भूमियां चतर्भुज के नाम दर्ज रहीं। चतरभुज ने नाता विवाह श्रीमती सोवनी से किया, जिससे एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 सोवनी के साथ आयी थी, जो भेरा रेबाी की संतान है, चतर्भुज जी की संतान नहीं है, किन्तु सहवन से चतर्भुज की भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी, जबकि उक्त भूमियों में उसका किसी प्रकार का स्वत्व व अधिकार नहीं है। नन्दा, चतुर्भज व भीमा तीनों लाऔलाद फोत होने पर उसके एक मात्र वारिस गुलाव जी रहे एवं गुलाब जी ही उनकी भूमियों के एक मात्र वैधानिक उत्तराधिकारी होकर उनकी भूमियों पर काबिज रहे तथा गुलाब जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने इस आशय की एक लिखतम दिनांक 03–08–1998 को निष्पादित कर उक्त भूमि में उसका किसी प्रकार का स्वत्व व अधिकार नहीं होना माना है, किन्तु अब उसकी नियत में बदलाव आ जाने से वह उक्त भूमियां विक्रय करने पर आमादा है। अतएवं वाद वर्णित भूमियों का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा एवं विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि स्वयं वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को चतर्भुज की पुत्री होने का कथन किया है। वादी स्वयं को गुलाब का पुत्र होना बता रहा है जो गलत है, वादी की मां पहले से शादी शुदा होकर उसके अपने साथ लाई थी, जिससे गुलाब जी की भूमियों में वादी का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है। चतर्भुज जी लाऔलाद फोत नहीं हुए बल्कि उनके एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 है, राजस्व कर्मचारियों से सम्पूर्ण जांचकर चतर्भुज की पुत्री होने के आधार पर नामान्तरकरण उसके नाम खोला है, जबकि वादी स्वयं तथाकथित भूरा रेबारी की संतान होना प्रतीत होता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी कोई लिखतम वादी के पक्ष में नहीं की है। विशेष कथन में कहा कि जगरूप जी के पुत्र भीमा जी की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी बदन बाई ने उसके हक हिस्से की भूमि का पंजीकृत दान दिनांक 20–11–1978 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया, जिससे भी प्रतिवादी संख्या 1 चतर्भुज की पुत्री होना स्पष्ट है। वादी द्वारा अपंजीकृत व अपर्याप्त मुद्रांकित फर्जी लिखतम प्रस्तुत की गयी है, जिसे परिबद्ध किया जाना लोक व राजस्व हित में आवश्यक है।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध दिनांक 08–01–2014 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य भी पेश की गयी, जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने जिरह भी की। अधिवक्ता प्रतिवादी ने शहादत पेश नहीं करना चाहा।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 29–11–2017 से वादी का वाद साबित नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री शुभम शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने तथा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने प्रार्थना की।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट का प्रमुख उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है तथा स्वयं को चतर्भुज की पुत्री होना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का त्रुटि पूर्ण निर्णय किया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 चतर्भुज की गेलड पुत्री होने से उसका चतर्भुज की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं है। चतर्भुज लाऔलाद फोत होने से उनके एक मात्र वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हैं, जो उसके भतीजे हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भूरा रेबारी की संतान है। तनकी नंबर 1 के संबंध में वादी ने आदेश 23 नियम 3 जा.दी. के तहत दस्तावेज प्रदर्श 2 समझौता पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे तस्दीक शुदा होने के उपरान्त भी

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे नजर अंदाज कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। तनकी नंबर 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया है, जिससे तनकी नंबर 2 स्वतः वादी के पक्ष में साबित होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णय करने में त्रुटि की है। तनकी नंबर 3 में भी पूर्व राजीनामें को नजर अंदाज कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि यह सुस्पष्ट है कि जगरूप जी के 4 पुत्र नन्दा, चतर्भुज, भीमा व गुलाब हुए, जिसमें से तीन पुत्र नन्दा, चतर्भुज व भीमा लाऔलाद फोत हो गये तथा एक पुत्र गुलाब के पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हैं। वादी का यह कथन है कि चतर्भुज के लाऔलाद फोत हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 1 किसनी बाई गेलड होकर उसकी नातायत पत्नी सोवनी बाई के साथ आयी, जिससे व चतर्भुज की पुत्री नहीं है तथा चतर्भुज की मृत्यु पर जो नामान्तरकरण प्रतिवादी के नाम खुला है वह त्रुटि पूर्ण है। प्रकरण में हमारे द्वारा यह पाया गया कि अपीलान्ट स्वयं के द्वारा जो दस्तावेज प्रदर्श 2 समझौता पत्र प्रस्तुत किया है वह मुकदमा नंबर 94/87 में दिनांक 10–08–1998 को पेश किया गया है। उक्त मुकदमें में वादी देवा व प्रतिवादी किशनी पक्षकार रहे हैं। राजीनामा अनुसार किसनी ने विवादित भूमियों वादी के पक्ष में छोड़ने का कथन किया है। राजीनामा अधिनस्थ न्यायालय में तस्दीक भी हुआ है। अर्थात पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों के मध्य इन्हीं आराजियात का वाद प्रस्तुत होकर उसमें किसनी द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। हालांकि उक्त वाद संख्या 94/87 में राजीनामा होने के बाद क्या निर्णय हुआ इस बाबत् रेकार्ड उपलब्ध नहीं है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकी नंबर 3 में यह सुस्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पूर्व में वाद संख्या 94/87 जो इन्हीं पक्षकारों के मध्य घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद था, उसमें राजीनामा अस्वीकार कर वाद खारिज किया जा चुका है। आश्चर्य जनक रूप से अधिनस्थ न्यायालय की उक्त फाईडिंग का अपीलान्ट ने अपील में कोई वर्णन नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उक्त विवेचन सही है। वादी द्वारा पूर्व में राजीनामा खारिज हो जाने के तथ्यों को छिपाकर

उसके स्थान पर नया दावा पेश किया जाना निसंदेह विधिक प्रक्रिया का दोहन है, क्योंकि वादी/अपीलान्ट ने पूर्व में वाद खारिज हो जाने के बाद पुनः पूर्व वाद के इन्हीं प्रभावित पक्षकारों के मध्य इसी विषय वस्तु पर वाद निर्णित होकर खारिज हो जाने के बाद उसकी अपील नहीं कर तथ्यों को छुपाकर पुनः नया वाद प्रस्तुत किया जाना व पश्चातवर्ती वाद की अपील प्रस्तुत नहीं किया जाना निसंदेह विधिक प्रक्रिया का दोहन है तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ाने का प्रयास है। स्पष्टतया यह नया वाद रेसज्यूडीकेटा से ग्रसित प्रतीत होता है। पूर्व वाद में यदि गेलड बाबत कोई निर्णय नहीं हुआ था तो उसकी अपील की जानी चाहिए थी न कि पूर्व वाद के राजीनामे के खारिज हो जाने के बाद उक्त गेलड संतान को लेकर नया वाद प्रस्तुत किया जाना निसंदेह खेदजनक है तथा वादी के स्वच्छ हाथों से नहीं आने को इंगित करता है। वादी/अपीलान्ट द्वारा अनावश्यक मुकदमेबाजी की जा रही है, क्योंकि विधि का क्रियान्वयन विधिक प्रक्रिया से ही हो सकता है यदि किसी वाद में राजीनामा वर्ष 1998 में पेश होता है तथा वाद राजीनामे के आधार पर स्वीकार नहीं होता है तो उसकी अपील विहित अवधि में नहीं कर 13–14 वर्षो बाद इन्हीं पक्षकारों के विरूद्ध उसी विषय वस्तु को लेकर पूर्व के तथ्यों को छुपाकर नया वाद प्रस्तुत किया जाना निसंदेह खेदजनक है तथा वादी/ अपीलान्ट द्वारा विधिक प्रक्रिया का शोषण किया जाना प्रतीत होता है। वादी के स्वच्छ हाथों से नहीं आने तथा वाद के रेसज्यूडीकेटा से ग्रषित होने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद जो खारिज किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

**देवा पिता स्व.गुलाब जी रेबारी, निवासी झालों की मंदार, तह0 खमनोर, जिला राजसमन्द** बनाम **श्रीमती किशनी बाई गुलड पुत्री चतर्भुज पत्नी पोखर जी रेबारी, नि0 उसरवास, तह. खमनोर, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**75 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**नाथद्वारा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....माह.....**11**.....**2017**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**.....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री मनीष शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री शुभम शर्मा.....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया ।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।